संख्या:1/2026/868पू0वि0नि/35-1-2025/35-1099/41/2025पार्ट-1

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ। दिनांक: 12 जनवरी, 2026

विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद आजमगढ़ में शासनादेश सं0-75/2025/635/पू०वि०नि०/35-1-2025/35-1099/41/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 द्वारा 04 कार्यों की रू0 143.56 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 71.76 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या:823/पू0वि0नि0-राज्यांश/2025-26 दिनांक 03.09.2025 के माध्यम से जनपद आजमगढ़ में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2025 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गो हेतु अवमुक्त धनराशि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरित न हो पाने के कारण उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:1/2026/868(1)पू0वि0नि/35-1-2025/35-1099/41/2025 पार्ट-1 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र०।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़।
13-अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आजमगढ़।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।